

२५/०६/२४ पत्रावली पेशा डुरई, वकील प्राणी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन खाड शामिल होकर शजिण्टडी ले प्राप्त हुए जिले शाण पण किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक कर आवाजे डिलायी जाने के खाड की उपस्थित नही। इसके सिकेट एक वरफा धर्मवाही किये जाने का आदेश दिया जागा है। वकील प्राणी का शाण पत्र कमीकर दिया जाकर सिठपि हृषण से लिख्य जाकर शाण पण किये गये। पत्रावली फेदल्य शुमार होकर नम्बरसे कम थे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 67/24 प्रा.पञ्ज

1- श्री धारचन्द शंकर नरदीचन्द रेग्गर निवासी- तागोर तहसील- माण्डल

बनाम

- 1- श्री प्रह्लादराय शंकर चुन्नीलाल रेग्गर निवासी- बागोर तहसील- माण्डल
2. श्रीमती ऐप्पी शंकर धारचन्द रेग्गर निवासी- बागोर तहसील- माण्डल
3. शंकर शण्ण परिषद तहसीलदार माण्डल तहसील- माण्डल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 21-6-24


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 7499/487 कुल कित्ता 01 रकबा 0-5059 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08-05-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 7499/487 कुल कित्ता 01 रकबा 0-5059 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी दिये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खाडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा